संख्या-48/2016/642/26-3-2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 17 मार्च, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से मानक मद-09-विद्युत देय में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1783/स0क0/विकास/पुनर्विनियोग/2015-16, दिनांक-12.02.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2225-01-789-08-00 के अन्तर्गत मानक मद 09-विद्युत देय के लिये भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-3000.00 हजार (रू0 तीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र-00-09-विद्युत देय के लिये भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-298/दस-2016, दिनांक-14 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-48/2016/642/(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2

6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(बजट मैनुअल का प्रपत्र-[illegible])

अनुदान संख्या-83-

वित्तीय वर्ष 2015-16 प्रपत्र बी०एम०-8

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित समर्पण

लेखाशीर्षक-1 (डिजिटल कोड में) आयोजनागत	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	लेखाशीर्षक-2 डिजिटल में आयोजनेतर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225-01-789-06-00 2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक 06-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 00-						2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक 06-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 00-					
01-वेतन	2000	2000	1500	1500	500	09-विद्युत देय	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03-महंगाई भत्ता	2400	2400	1500	1500	900						
योग-	4400	4400	3000	3000	1400	योग-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1-स्तम्भ-2 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नवत् है:-
क-आवश्यकता से अनुमान अधिक है।
2-स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
क-[illegible] अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151, 154 व 155 में निहित प्रतिबंधों/सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आय०व्य०-510/1-4-2016/[illegible] दिनांक 14 मार्च 2016

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ०प्र०, इलाहाबाद।

(विजय प्रसाद तिवारी)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

([illegible])
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

Praroop

संख्या-42/2016/642 (1)/26-3-2016 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ०प्र०,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ०प्र०,इलाहाबाद ।
3- निदेशक समाज कल्याण/वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7- निदेशक, एन०आई०सी०योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद तिवारी)
अनु सचिव ।

Praroop

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।